2025/567

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सांवरमल बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 290 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
06/08/25	प्रार्थी सांवर मल पुत्र लक्ष्मण राम जाति जाट निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 143 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि सांवरमल पुत्र लच्छा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है तथा प्रार्थी के भाई के नाम की प्रविष्ठि श्योपाल पुत्र लच्छा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्ठि सांवर मल पुत्र लक्ष्मण राम है तथा प्रार्थी के भाई के नाम की प्रविष्ठि शिव पाल पुत्र लक्ष्मण राम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड की प्रस्तुत प्रति में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि सांवर मल पुत्र लक्ष्मण राम अंकित है, जो कि सही है तथा प्रार्थी के भाई के नाम से बने आधार कार्ड की प्रस्तुत प्रति में प्रार्थी के भाई के नाम की प्रविष्ठि शिव पाल पुत्र लक्ष्मण राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि सांवरमल पुत्र लच्छा के स्थान पर सांवर मल पुत्र लक्ष्मण राम दुरूस्त किया जावें तथा प्रार्थी के भाई के नाम की प्रविष्ठि श्योपाल पुत्र लच्छा के स्थान पर शिव पाल पुत्र लक्ष्मण राम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1334 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 143 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि सांवरमल पुत्र लच्छा के स्थान पर सांवर मल पुत्र लक्ष्मण राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी के भाई के नाम की प्रविष्ठि श्योपाल पुत्र लच्छा के स्थान पर शिव पाल पुत्र लक्ष्मण राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1334 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर	

(Seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला–सीकर (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.06 15:29:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner